HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7285/2024

Jahul S/o Deendar, Aged About 36 Years, R/o Village Kherli Gumani, Police Station Jurhara, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10927/2024

1. Jahul @ Jahun S/o Jakar @ Jakir, Aged About 22 Years, R/o Village Ganvadi, Police Station Jurhara, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).

2. Ansar S/o Idrish, Aged About 22 Years, R/o Village Ganvadi, Police Station Jurhara, District Deeg. (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ankit Khandelwal Mr. V.S.Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Jai Prakash Tiwari, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/12/2024

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020519252024/truecopy/order-2.pdf

प्रार्थी/अभियुक्त **जाहुल पुत्र दीनदार, जाहुल पुत्र जकर एवं अन्सार** की ओर से दो पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना–पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत **पुलिस थाना जुरहरा जिला डीग** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **205/2024** अपराध अंतर्गत धारा **419, 420, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 66–डी, सूचना प्रोद्यागिकी (संशोधन) अधिनियम 2008** में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।

दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त **जाहुल पुत्र दीनदार** का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। वह दिनांक 01.06.2024 से अभिरक्षा में है। सम्पूर्ण अन्वेषण किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की है। उनका तर्क है कि नेशनल साइबर पोर्टल पर लगभग 15 शिकायतें हैं जो प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त मोबाइल नंबर से कारित धोखा–धड़ी से सम्बन्धित है और सभी में धन सम्बन्धी संव्यवहार हुआ है। प्रार्थी गिरोह बंद होकर नियमित रूप से अपराध कारित करता है। अतः उसका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

जवाब में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि जिन लोगों की शिकायतें पोर्टल पर हैं, उनके धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत बयान नहीं लिए गए हैं, प्रकरण में उनमें से कोई भी साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से जब्तशुदा मोबाइल नंबर का मिलान भी शिकायत में दर्ज करवाए गए मोबाइल नंबरों से नहीं होता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्त **जाहुल पुत्र जकर एवं अंसार** के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। जाहुल पुत्र जकर से जो मोबाइल फोन बरामद होना बताया है वह बंद होना बताया गया है। इन मोबाइल नंबरों

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020519252024/truecopy/order-2.pdf

से किसी प्रकार का कोई संव्यवहार करके किसी व्यक्ति के साथ ठगी कारित की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी हैं किसी निजी व्यक्ति की कोई शिकायत नहीं है, न ही कोई ऐसा निजी व्यक्ति सामने आया है जिसके साथ धोखाधड़ी की गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण दिनांक 01.06.2024 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अंसार के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। जाहुल पुत्र जकर के विरूद्ध पूर्व के दो प्रकरण दर्ज हैं जिनमें एक आयुध अधिनियम का है एवं दूसरा धोखाधड़ी से सम्बन्धित है। उनका यह भी तर्क है कि अन्वेषण के काल में विशाल ठाकुर के केनरा बैंक के सम्पूर्ण बैंक खाते की प्रति प्रस्तुत की गई है परन्तु प्रार्थीगण से इस व्यक्ति के साथ कोई संव्यवहार होना दर्शित नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि नेशनल साइबर पोर्टल पर लगभग 15 शिकायतें साइबर ठगी से सम्बन्धित दर्ज करवाई गई हैं जिनका अंकन आरोप–पत्र में भी किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इन व्यक्तियों से धोखाधड़ी करते हुए बड़ी धनराशि प्राप्त की गई है। प्रार्थी अन्य अभियुक्तगण से मिलकर गिरोह बंद होकर नियमित रूप से अपराध कारित करता है। अतः उसका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिन व्यक्तियों द्वारा साइबर क्राइम की ई–पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना एवं अपने साथ छल होना बताया है, उनके कोई कथन लेखबद्ध नहीं किए गए हैं, न ही उनसे किसी प्रकार का अनुसंधान किया जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है। जिन 15 व्यक्तियों द्वारा साइबर ठगी की शिकायत पोर्टल पर करना बताया गया है, उनमें अंकित आरोपी के मोबाइल नंबरों का मिलान भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से जब्तशुदा मोबाइल नंबरों से नहीं हो रहा है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 01.06.2024 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020519252024/truecopy/order-2.pdf

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्तगण **1. जाहुल उर्फ जाहुन पुत्र दीनदार, 2. जाहुल उर्फ जाहुन पुत्र जाकर उर्फ जाकिर एवं 3. अंसार पुत्र इदरीश** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे इस मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /02-03

This is a True Copy of the court records online. Authenticated @ https://eCourtsIndia.com/cnr/RJHC020519252024/truecopy/order-2.pdf